न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 240 / 2024 निर्णय दिनांकः15.01.2026
ऑनलाईन नम्बर 2024 / 496

ओमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. हरिराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शांति देवी पत्नि श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी नापासर जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 277 तादादी 6.8200 हैक्टेयर वाकेरोही गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। प्रार्थी के उक्त खसरा भूमि में ट्यूबवैल बना हुआ है तथा प्रार्थी ढ़ाणी में परिवार सहित खेत में रहकर भूमि का काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत के चिपते ही उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1,2 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 275 तादादी 6.4000 हैक्टेयर बारानी, 0.1800 हैक्टेयर गैमुमकिन रास्ता कुल 6.5800 हैक्टेयर वाकेरोही गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। अप्रार्थी ने उक्त खसरा भूमि को दिनांक 19.12.2024 को पूर्व खातेदार दीपचन्द के वारिसान से खरीद किया है। खसरा नम्बर 275 की भूमि में से चले आ रहे कट्टाणी मार्ग सड़क से फंटकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 277 में आने—जाने का एकमात्र रास्ता वर्षो से चला आ रहा है, जो कि खसरा नम्बर 275 के मुख्य कट्टाणी मार्ग सड़क बेनीसर से दुलचासर से दक्षिणी तरफ प्रार्थी के खेत तक आता है, जो कि करीब 130 फुट लम्बाई का व 16 फुट चौड़ाई में चला आ रहा है। प्रार्थी, अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 275 को पिछले करीब 20 वर्षो से काश्त पर लेता रहा है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 275 की भूमि को पूर्व खातेदारो से इस वर्ष भी एक लाख रुपये माह अगस्त 2024 में अदा कर नवम्बर 2025 तक पुनः काश्त पर लिया तथा वर्तमान में प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 275 में स्थित कट्टाणी मार्ग से दक्षिणी तरफ की भूमि में प्याज, मैथी, इसबगोल की फसल [illegible] रखी है, जो मौके पर खड़ी है, इसी फसल के बीच में से प्रार्थी के [illegible] रास्ता मौके पर मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 15:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अप्रार्थी दिनांक 19.12.2024 को बाला–बाला खसरा नम्बर 275 भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली तथा उसी दिन प्रार्थी को जाकर धमकी दी कि तुमने जो फसल मेरे खेत में काश्त कर रखी है, वह खेत मैने खरीद लिया है, अब तुम मेरे खेत में मत आना व ना ही मेरे खेत में से तुम्हारे खेत को जाने वाले रास्ते का उपयोग करना है, मैं तुम्हारे खेत का रास्ता बन्द कर दूंगा। प्रार्थी प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित रास्ता जो बरंग पीले से दर्शित है, का उपयोग–उपभोग पिछले 20 वर्षो से कर रहा है तथा यही एकमात्र दर्शित रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिये विधमान है, जिससे प्रार्थी पैदल, ऊंट–गाड़ा, ट्रेक्टर आदि से आवागमन करता है। यह रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने का आवश्यक एकमात्र रास्ता है, जिसे बन्द करने की धमकियां अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को दी गई, यही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का आधार व कारण है। प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1,2 के खेत खसरा नम्बर 275 तादादी 6.5800 हैक्टेयर रोही गोपालसर में से जाने वाले कट्टाणी रास्ता से फंटकर प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है जिसकी लम्बाई करीब 40 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर है जिसको प्रार्थी शुरू से ही उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। प्रार्थी, अप्रार्थी को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी. एल. सी. रेट या ऐसे प्रतिकर के संदाय करने को तैयार है जो श्रीमान्जी द्वारा अवधारित किया जाये चाहा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का है व प्रार्थी के खेत में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 277 के उत्तर में अप्रार्थी संख्या 1,2 का खेत खसरा नम्बर 275, दक्षिण में रेलवे लाईन, पूर्व में खसरा नम्बर 485/278 व पश्चिम में खसरा नम्बर 276 की भूमि है । प्रार्थी के विवादित रास्ता की भूमि रोही गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है । वर्णित रास्ता आवश्यकता का है इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 277 तादादी 6.8200 हैक्टेयर रोही गोपालसर का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1,2 के खेत खसरा नम्बर 275 रोही गोपालसर में से कटाणी रास्ते में से फंटकर प्रार्थी के खेत तक लगभग 40 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 200 वर्गमीटर (0.0200 हैक्टेयर) प्रस्तुत नजरी मौका नक्शा अनुसार रास्ता या बाद रिपोर्ट जितनी लम्बाई का रास्ता मौके पर पाया जावे उस रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1,2 के खेत खसरा नम्बर 275 तादादी 6.5800 हैक्टेयर रोही गोपालसर में गैरमुमकिन रास्ता (कट्टाणी) दर्ज किया जाकर रास्ता देने का आदेश अप्रार्थी संख्या 03 को आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 15:15:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2018(1) मेहरा चौधरी बनाम पृथ्वीराज पुरोहित वगै. निर्णय दिनांक 24.03.2017 पृष्ठ संख्या 706 से 708 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 277 रोही गोपालसर की दक्षिणी तरफ रेल्वे लाईन के पास पास सें होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर आवागमन का रास्ता विधमान हैं जो प्रार्थी के खेत सें होते हुए दोनो तरफ आवागमन हेतु रास्ता विधमान है जिससें प्रार्थी आवागमन हेतु पिछले काफी वर्षो सें उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 नें उक्त खेत को पूर्व के खातेदारान सें क्रय कर मौका पर भौतिक रूप सें कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 व 02 नें प्याज, इसबगोल, मैथी की फसल बौ रखी हैं। उक्त फसल हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 नें पड़ौस के ट्यूबवैल सें इजारें पर पानी लेकर काश्त की है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी कृषिभूमि खसरा नम्बर 275 रोही गोपालसर में सें प्रार्थी का कभी भी आवागमन नही रहा हैं और ना ही है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत में रास्ता प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी कृषिभूमि में सें प्रार्थी का कभी भी कोई आवागमन नही रहा है । पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का आवागमन प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 277 रोही गोपालसर की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित है। प्रार्थी केवल अत्यधिक आवश्यकता व अन्य किसी प्रकार आवागमन का रास्ता नही होने पर ही रास्ता की मांग कर सकता है। प्रार्थी द्वारा आवेदित किया गया रास्ता से यह प्रकट होता हैं कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत के बीचों बीच रास्ता की मांग की हैं जो पूर्णतया गलत है। प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 275 रोही गोपालसर के पूर्व के खातेदारन सें उक्त खेत ओने पोने दामों में लेने की फिराक में था लेकिन खसरा नम्बर 275 के खातेदार द्वारा उक्त खेत प्रार्थी को विक्रय नही किया गया इसलिए प्रार्थी नें गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को तंग व परेशान करने तथा उनकी फसल हड़प करने के आश्य से प्रस्तुत किया हैं जो काबिल खारिज है । धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट रूप सें प्रावधान हैं कि रास्ता के लिए प्रार्थनापत्र अति आवश्यकता के आधार पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है ना कि सुविधा के आधार पर । प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन केवल सडक मार्ग से जुडने व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत के बीचो बीच अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत को टुकडे करने के आशय सें प्रस्तुत किया हैं इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 275 रोही गोपालसर से रास्ता प्राप्त करने का अधिकार हासिल नही है । प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिजल खारिज है एवं प्रार्थी का प्रार्थना[illegible]रिज किये जाने का निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 15:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

किया गया एवं अपनी बहस के सर्मथन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त बाघ सिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू निर्णय दिनांक 04.11.2015 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रार्थी अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 275 में से वर्षो से आवागमन करता आ रहा है व इसी रास्ते को कटानी दर्ज करवाना चाहता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 (क) में प्रचलित रास्ते को कटानी के रूप में दर्ज करनें का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नंबर 277 में पहुंच के लिए वैकल्पिक साधन के अभाव एवं रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता महत्वपूर्ण शर्त को पूरा नहीं करता है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) का सार है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह खेत खसरा नंबर 275 में से आवागमन के रास्ते को बाधित न करें।

आदेश आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 15:15:56 IST
Reason: SelfAttested